राज० सरकार बनाम [illegible]

प्र०क्र 234/2025

4/6/25 पत्रावली पेश हुई। पी०ओ० साहब अन्य राज्य कार्य में व्यस्त है। अत: पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 6/6/25 को पेश हो।

6/6/25 पत्रावली पेश हुई। सरकार तरफ से [illegible] अप्रार्थी [illegible] व उपस्थित। बहस [illegible] सुनी गयी। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 177 RTA स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखाया गया। जो शामिल मिसल है। निर्णय की पालना हेतु TDR सांगानेर को तहरीर जाती है। पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

R [illegible]
933
6/25

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

5/2/25

राजस्थान सरकार

कार्यालय तहसीलदार सांगानेर जिला जयपुर

क्रमांक-राजस्व / 2025 / 81

दिनांक 13/02/2025

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय,
जयपुर द्वितीय सांगानेर

विषय :– ग्राम श्योसिंहपुरा उर्फ कल्लवाला के खसरा नं0 294 के राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 की कार्यवाही हेतु प्रकरण भिजवाने बाबत्।

प्रसंग :– जरिये प्रार्थना पत्र परिवादी श्री पवन ।

महोदय,

विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के कम में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 की कार्यवाही हेतु वाद व टी.आई. प्रार्थना पत्र व संबंधित समस्त दस्तावेज मय संबंधित हल्का पटवारी रिपोर्ट श्रीमान्‌जी की सेवा में अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

तहसीलदार
तहसील सांगानेर

उक्त ख0नं0 रकबा सिवायचक सरकार घोषित किया जावे तथ
जारी किये जाकर कब्जेराज लेने के ओदश फरमाने की कृपा क

ायालय उपखण्ड अधिकारी सांगानेर द्वितीय जिला जयपुर

ना संख्या:— /202

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर तहसील कार्यालय सांगानेर जिला जयपुर राज0।

..... वादी

बनाम

1. इन्द्रकुमार, गोकुलचंद, जुगलकिशोर, जुगलकिशोर, मिटठनलाल, रामवतार पुत्र रामसहाय सांगानेर ।
2. गोविन्दनारायण, बाबूलाल, रामेश्वर, हरिनारायण पुत्र घासीलाल
3. राधेश्याम पुत्र लादूराम।
4. श्री गणपति गृह निर्माण सहकारी समिति लि0 जरिये मंत्री 118, खातियो का मोहल्ला, नांगल जैसा बोहरा , झोटवाडा जयपुर।

.....प्रतिवादी

य, **प्रार्थना अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

प्रार्थना अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन है कि:—

यह है कि ग्राम श्योसिंहपुरा उर्फ कल्लावाला के हाल खसरा नं0 294 की खातेदारी हाल राजस्व रिकार्ड जमाबंदी के इन्द्रकुमार, गोकुलचंद, जुगलकिशोर, जुगलकिशोर, मिटठनलाल, रामवतार पुत्र रामसहाय व गोविन्दनारायण, बाबूलाल, रामेश्वर, हरिनारायण पुत्र घासीलाल व राधेश्याम पुत्र लादूराम सा.दे. खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

यह है कि मुताबिक रिपोर्ट पटवारी के ग्राम श्योसिंहपुरा उर्फ कल्लावाला सांगानेर के हाल खसरा नं0 नं0 294 की भूमि पर गणेश वाटिका 4 कॉलोनी सृजित होकर सघन आबादी विस्तार हो चुका है। उक्त खातेदार मौके पर कब्जाकाश्त नहीं है।

यह है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उक्त भूमि कृषि प्रयाजन हेतु होती है, जबकि अप्रार्थीगण द्वारा बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के तथा बिना संपरिवर्तन कराये उक्त खसरा नं0 का आवासीय कार्य हेतु प्रयोग कर अकृषि उपयोग किया जा रहा है जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के विरूद्ध है।

यह है कि खसरा नं0 294 भूमि का बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के कृषि से भिन्न प्रयोजन उपयोग करने के कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 का प्रकरण बनतायह है कि प्रथम दृष्टया वाद में सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है।

यह है कि अप्रार्थीगण के उक्त कृत्य से राज्य सरकार को अपूर्णनीय क्षति होगी जिससे पूर्ति द्रव्य में संभव नही है।

यह है कि श्रीमान को प्रार्थना पत्र को सुनने का क्षेत्राधिकार है।

यह है कि राज्य सरकार की ओर से जरिये तहसीलदार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के कारण न्यायालय फीस से मुक्त है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन है कि खातेार काश्तकार द्वारा हानिप्रद कार्य व शर्त भंग करने के कारण ग्राम के ख0नं0 294 की खातेदारी अधिकार समाप्त किये जाकर उक्त ख0नं0 रकबा सिवायचक सरकार घोषित किया जावे तथा बेदखली के आदेश जारी किये जाकर कब्जेराज लेने के ओदश फरमाने की कृपा करें।

तहसीलदार
तहसील सांगानेर

ायालय उपखण्ड अधिकारी सांगानेर द्वितीय जिला जयपुर

ना संख्या:— /202

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर तहसील कार्यालय सांगानेर जिला जयपुर राज0।

.....प्रार्थी

बनाम

1. इन्द्रकुमार, गोकुलचंद, जुगलकिशोर, जुगलकिशोर, मिटठनलाल, रामवतार पुत्र रामसहाय सांगानेर ।
2. गोविन्दनारायण, बाबूलाल, रामेश्वर, हरिनारायण पुत्र घासीलाल
3. राधेश्याम पुत्र लादूराम
4. श्री गणपति गृह निर्माण सहकारी समिति लि0 जरिये मंत्री 118, खातियो का मोहल्ला, नांगल जैसा बोहरा , झोटवाडा जयपुर।

.....अप्राथीगण

दय,

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत कर निवेदन है कि:—

. यह है कि ग्राम श्योसिंहपुरा उर्फ कल्लावाला के हाल खसरा नं0 294 की खातेदारी हाल राजस्व रिकार्ड जमाबंदी के इन्द्रकुमार, गोकुलचंद, जुगलकिशोर, जुगलकिशोर, मिटठनलाल, रामवतार पुत्र रामसहाय व गोविन्दनारायण, बाबूलाल, रामेश्वर, हरिनारायण पुत्र घासीलाल व राधेश्याम पुत्र लादूराम सा.दे. खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

. यह है कि मुताबिक रिपोर्ट पटवारी के ग्राम सांगानेर के हाल खसरा नं0 294 की भूमि पर गणेश वाटिका 4 कॉलोनी सृजित होकर सघन आबादी विस्तार हो चुका है। उक्त खातेदार मौके पर कब्जाकाश्त नहीं है। कृषि भूमि सम्पूर्ण भूमि में प्लॉटिंग की हुई है, डामर रोड, ग्रेवल रोड डाला हुआ है। तथा अकृषि उपयोग में ली जा रही है।

. यह है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत उक्त भूमि कृषि प्रयोजन हेतु होती है, जबकि अप्रार्थीगण द्वारा बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के तथा बिना संपरिवर्तन कराये उक्त खसरा नं0 का आवासीय कार्य हेतु प्रयोग कर अकृषि उपयोग किया जा रहा है जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के विरूद्ध है।

. यह है कि खसरा नं0 यह है कि मुताबिक रिपोर्ट पटवारी के ग्राम श्योसिंहपुरा उर्फ कल्लावाला के हाल खसरा नं0 294 की भूमि पर गणेश वाटिका 4 कॉलोनी सृजित होकर सघन आबादी विस्तार हो चुका है। उक्त खातेदार मौके पर कब्जाकाश्त नहीं है।

. यह है कि ग्राम श्योसिंहपुरा उर्फ कल्लावाला के हाल खसरा नं0 294 भूमि का बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के कृषि से भिन्न प्रयोजन उपयोग करने के कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 का प्रकरण बनता है।

. यह है कि प्रथम दृष्टया वाद व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है।

. यह है कि अप्रार्थीगण के उक्त कृत्य से राज्य सरकार को अपूर्णनीय क्षति होगी जिससे पूर्ति द्रव्य में संभव नही है।

. यह है कि श्रीमान को प्रार्थना पत्र को सुनने का क्षेत्राधिकार है।

. यह है कि राज्य सरकार की ओर से जरिये तहसीलदार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के कारण न्यायालय फीस से मुक्त है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि खातेदार काश्तकार द्वारा हानिप्रद कार्य व शर्त भंग करने के प्रार्थना पत्र के मद नं0 01 02 में वर्णित आराजी के राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे जो प्राकृतिक न्याय के दृष्टिकोंण के अनुरूप है, अप्रार्थीगण के उपयोग उपभोग उक्त भूमि का किसी प्रकार से बेचान नही करें, नही जबरन कब्जा करे नही स्थानान्तरण करें। अप्रार्थीगण को अन्तरिम

अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करने हेतु एवं राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द करने के आदेश प्रदान करावें।

तहसीलदार
तहसील सांगानेर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर) जयपुर

भीतारीन अधिकारी का नाम : दिग्गत सिंह, आर.ए.एस.
विविध प्रकरण संख्या : 234/2025
निर्णय दिनांक : 06.06.2025

उनवान

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर तहसील कार्यालय सांगानेर, जिला जयपुर।

वादी

बनाम

1. इन्द्रकुमार, गोकुल चन्द, जुगलकिशोर, मिटठनलाल, रामवतार पुत्रान रामसहाय, निवासीगण ग्राम आशावाला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
2. गोविन्दनारायण, बाबूलाल, रामेश्वर, हरिनारायण पुत्रान घासीलाल, निवासीगण ग्राम आशावाला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
3. राधेश्याम पुत्र लादूराम, निवासी ग्राम आशावाला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
4. श्री गणपति गृह निर्माण सहकारी समिति लिमि0 जरिये मंत्री 118, खातियों का मोहल्ला, नांगल जैसा बोहरा, झोटवाडा, जयपुर।

प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम श्योसिंहपुरा उर्फ कल्लावाला के हाल खसरा नम्बर 294 की खातेदारी हाल राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी के इन्द्रकुमार, गोकुलचंद, जुगलकिशोर, जुगलकिशोर, मिटठनलाल, रामवतार पुत्र रामसहाय व गोविन्दनारायण, बाबूलाल, रामेश्वर, हरिनारायण पुत्र घासीलाल व राधेश्याम पुत्र लादूराम सा. देह खातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी के ग्राम श्योसिंहपुरा उर्फ कल्लावाला, सांगानेर के हाल खसरा न0 294 की भूमि पर गणेश वाटिका 4 कॉलोनी सृजित होकर सघन आबादी विस्तार हो चुका है। उक्त खातेदार मौके पर कब्जाकाश्त नही है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उक्त भूमि कृषि प्रयोजन होती है, जबकि अप्रार्थीगण द्वारा बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के तथा बिना संपरिवर्तन कराये उक्त खसरा न0 का आवासीय कार्य हेतु प्रयोग कर अकृषि उपयोग किया जा रहा है जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के विरूद्ध है। खसरा न0 294 भूमि का बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के कृषि से भिन्न प्रयोजन उपयोग के कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 का प्रकरण बनता है कि प्रथम दृष्टया वाद में सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। अप्रार्थीगण के उक्त कृत्य से राज्य सरकार को अपूर्णनीय क्षति होगी जिससे पूर्ति द्रव्य में संभव नही है। श्रीमान को प्रार्थना पत्र को सुनने का क्षेत्राधिकार है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन है कि

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

खातेदार काश्तकार द्वारा हानिप्रद कार्य व शर्त भंग करने के कारण ग्राम श्योसिंहपुरा उर्फ कल्लावाला के खसरा न0 294 की खातेदारी अधिकार समाप्त किये जाकर उक्त ख0न0 रकबा सिवायचक सरकार घोषित किया जावे तथा बेदखली के आदेश जारी किये जाकर कब्जेराज लेने के आदेश फरमाने की कृपा करे।

दावा वादी पेरोकार सरकार तहसीलदार सांगानेर के द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत धारा 177 विपक्षीगण के विरूद्ध पेश किये जाने पर दावा दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गयी जो प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 बावजूद तामिल सूचना के हाजिर नही होने पर दिनांक 23.05.2025 को एकपक्षीय कार्यवाही की गयी एवं प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से श्री हिमांशु श्रीमाल एडवोकेट ने वकालतनामा व जवाब दावा इस आशय का पेश किया कि उक्त वादग्रस्त आराजी जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के क्षेत्राधिकार में है, जिस पर धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की कार्यवाही करने का प्रार्थी कोई अधिकार नही है, ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया प्रार्थी का प्रार्थना पत्र क्षेत्राधिकार विहीन होने से सरसरी तौर पर खारिज योग्य है। प्रार्थना पत्र खण्ड 1 में वर्णित भूमि का ग्राम श्योसिंहपुरा उर्फ कल्लावाला, पटवार हल्का खेडीगोकुलपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में होना और उसका राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी अनुसार इन्द्रकुमार, गोकुलचन्द, जुगलकिशोर, मिठ्ठनलाल, रामवतार पुत्रान रामसहाय, गोविन्दनारायण, बाबूलाल, रामेश्वर, हरिनारायण पुत्रान घासीलाल व राधेश्याम पुत्र लादूराम के नाम होना स्वीकार है, परन्तु उक्त वादग्रस्त भूमि के खातेदारान द्वारा सम्पूर्ण भूमि को मिन उत्तरदाता/अप्रार्थी संख्या 4 को विक्रय कर देने के पश्चात् उक्त वादग्रस्त भूमि पर मिन उत्तरदाता/अप्रार्थी संख्या 4 की आवासीय योजना गणेश वाटिका चतुर्थ स्थित है। प्रार्थना पत्र खण्ड 1 में वर्णित भूमि के खातेदारान द्वारा अपनी सम्पूर्ण भूमि का विक्रय मिन उत्तरदाता/अप्रार्थी संख्या 4 को कर दिया है तथा मिन उत्तरदाता/अप्रार्थी संख्या 4 द्वारा क्रय करने के परिणामस्वरूप उक्त वादग्रस्त भूमि पर अपनी आवासीय योजना गणेश वाटिका चतुर्थ सृजित कर भूखण्डधारियों को आवंटन पत्र जारी किये जा चुके है, वर्तमान में उक्त वादग्रस्त भूमि पर कोई कृषि कार्य न होकर उक्त आवासीय योजना के सदस्य काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग कर रहे है। वादग्रस्त भूमि जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के क्षेत्राधिकार में स्थित है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी को धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही करने का कोई अधिकार नही है। मिन उत्तरदाता/अप्रार्थी संख्या 4 द्वारा उक्त भूमि क्रय कर रखी है जिस पर मिन उत्तरदाता/अप्रार्थी संख्या 4 की आवासीय योजना गणेश वाटिका चतुर्थ विकसित है जिसके नियमन का आवेदन जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के समक्ष विचाराधीन है, इसलिए भी प्रकरण धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की परिधि में नही होने से खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थी उक्त वादग्रस्त भूमि का कोई रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार नही है तो प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में होने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नही होता है। प्रार्थी के पक्ष में जब कोई प्रथम दृष्टया मामला

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

व सुविधा का संतुलन साबित ही नही है तो उसे किसी प्रकार की अपूर्णनीय क्षति होने की भी सम्भावना नही है। उक्त वादग्रस्त भूमि जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के क्षेत्राधिकार में स्थित है, ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण क्षेत्राधिकार विहीन प्रस्तुत किया है जो सरसरी तौर पर खारिज योग्य है। प्रार्थना पत्र के खण्ड 1 में वर्णित भूमि पर मिन उत्तरदाता/अप्रार्थी संख्या 4 की आवासीय योजना गणेश वाटिका चतुर्थ के नाम से सृजित है जिस पर भूखण्डधारियों द्वारा मकानात बनाकर परिवार सहित निवास कर रहे है। मिन उत्तरदाता/अप्रार्थी संख्या 4 द्वारा उक्त वादग्रस्त भूमि के मूल खातेदार काश्तकारों से उक्त भूमि क्रय कर आवासीय योजना सृजित की है। उक्त वादग्रस्त भूमि मिन उत्तरदाता/अप्रार्थी संख्या 4 की खरीदशुदा भूमि है, जिसके नियमन के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर रखा है। प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र मयाद बाहर प्रस्तुत किया है जो प्रथम दृष्टया मयाद बाहर होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे खारिज किया जाकर प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित आराजी भूमि को जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के नाम किया जाता है तो मिन उत्तरदाता/अप्रार्थी संख्या 4 को कोई आपत्ति नही है।

वादी व प्रतिवादी की बहस पर गोर किया एवं दावा जवाब दावा तथा प्रस्तुत जमाबंदी वाके ग्राम श्योसिंहपुरा उर्फ कल्लावाला का परीक्षण किया जो उक्त वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसे पेरोकार सरकार एवं रिपोर्ट पटवारी हल्का के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 उक्त कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 4 के पक्ष में जरिये विक्रय अनुबंध पर सहमति से विक्रय किये जाने पर प्रतिवादी संख्या 4 के द्वारा उक्त कृषि भूमि वाके ग्राम श्योसिंहपुरा उर्फ कल्लावाला तहसील सांगानेर के हाल खसरा नम्बर 294 को बिना विहित प्राधिकारी के अनुमति के बिना आवासीय योजना गणपति गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड के नाम से सृजित कर कर दी जिससे साफ जाहिर होता है प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पूर्ण रूप से उल्लघंन किया है जिसका उसको कोई अधिकार नही था, प्रतिवादी संख्या 4 ने अपने जवाब दावे में भी आवासीय योजना सृजित करने कृषि भूमि को अकृषि में परिवर्तन करना स्वीकार किया जाकर उक्त भूमि को नियमन करने हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर में पत्रावली पेश करना अंकित किया है किन्तु ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया गया कि नियमन किये जाने हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर में पत्रावली नियमन हेतु पेश की गयी है ऐसी स्थिति में प्रतिवादी संख्या 4 स्पष्ट रूप से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का उल्लघंन किया है क्योंकि बिना प्राधिकृत अधिकारी के कृषि भूमि को आवासीय उपयोग में परिर्तन कराये बिना आवासीय प्रयोजनार्थ में लेने से प्रतिवादी द्वारा राजकीय हानी पहुँचाने के साथ–साथ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 का उल्लघंन करने के कारण उक्त भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

के तहत खातेदार के खातेदारी अधिकार समाप्त किये जाकर सिवायचक घोषित किया जाना उचित समझते है।

दावा वादी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के तहत स्वीकार किया जाकर बिना प्राधिकृत अधिकारी की अनुमति के कृषि भूमि को अकृषि में उपयोग करने के कारण वाके ग्राम श्योसिंहपुरा उर्फ कल्लावाला तहसील सांगानेर के हाल खसरा नम्बर 294 सम्पूर्ण हिस्सा भूमि को प्रतिवादीगण की खातेदारी अधिकार समाप्त कर भूमि को राजकीय सिवायचक दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सांगानेर निर्णय अनुसार पालना करना सुनिश्चित करे। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार सांगानेर को तहरीर जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार हो दर्ज नम्बर से कम की जाकर बाद तकमिल दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.06.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर आई.ए.एस. (सांगानेर)
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (सांगानेर),
जयपुर